

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 26/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 27 जून, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित नोटिसी के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग व कर्तव्यों के निवहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारी को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में काय करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.	नोटिसियाँ का नाम एवं	ख	दि	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	मै श्री टूल्स, #285, 12 ^{वां} मैन, बीएसके।ला स्टेज, 2 ^{वां} ब्लॉक, हनुमंथानगर, बंगलोर-560050	डीआरआई फा. सं. DRI/BZU/ S-IV/Enq-18 (Int-Nil)/ 2018 दिनांक 09.10.2018 (SCN No. DRI/BZU/ SCN/37/2018)	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.	

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-21/2019-CI]

(श्री)
f

प्रतिनिधि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु। कृपया इस केस को मुख्य कारण बताओ नोटिस फा. सं. DRI/BZU/ S-IV/Enq-18 (Int-Nil)/2018 दिनांक 08.04.2019 (SCN No. 23/2019-DRI-BZU), जिसके लिए समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी अधिसूचना सं. 18/2019-Customs (NT/CAA/DRI) दिनांक 22.04.2019 के माध्यम से नियुक्त किए जा चुके हैं, के साथ टैग कर दिया जाए।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-बंगलोर को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबंधित कारण बताओ नोटिस के नोटिसरिया को समान न्याय निर्णयनन अधिकारी को नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस का अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।